<u>न्यायालय :: जनपद न्यायाधीश, एटा</u>

उपस्थितः राकेश धर दुबे, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008

<u>व्यवहार प्रकीर्ण अपील सं0 16/2026</u>

उदयवीर सिंह आदि बनाम महेशचन्द्र आदि।

–<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 12सी2 मय आपत्ति 13सी2</u>–

<u>20.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 12सी2 पर पूर्व दिनांक पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेशार्थ हेतु नियत है।

आवेदक/विपक्षीगण महेशचन्द्र आदि के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 12सी2 इस आशय का दिया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रकीर्ण अपील 16/2026 अपीलान्ट उदयवीर सिंह आदि के द्वारा विपक्षी महेशचन्द्र के विरूद्ध दायर की गयी है, न्यायालय द्वारा विपक्षी महेशचन्द्र को उपरोक्त प्रकीर्ण अपील के सम्बन्ध में कोई नोटिस सम्मन रजिस्ट्री नही भेजा गया है। न्यायलाय द्वारा विपक्षी को बिना सुने दिनांक 10–03–2026 को अवर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एटा के आदेश को स्थगित कर दिया गया है, जिससे विपक्षी की सख्त हकतल्फी व नुकसान है। न्यायहित में आदेश दिनांक 10–03–2026 को निरस्त किया जाना व न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एटा के आदेश दिनांक 23–02–2026 को पुनः बहाल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना की गयी है कि आदेश दिनांक 10–03–2026 को निरस्त किया जाना व न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) एटा के आदेश दिनांक 23–02–2026 को पुनः बहाल किये जाने की कृपा की जावे।

अपीलार्थी उदयवीर सिंह आदि के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति कागज संख्या 13सी2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थना पत्र विपक्षी असत्य, अमान्य, निराधार, विधि विरूद्ध कथनों को अंकित कर असल तथ्यों को छिपाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद में अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2026 को अन्तरिम निषेधाज्ञा के जरिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अंतिम अनुतोष विधि विरूद्ध ढंग से प्रदत्त किया, महत्वपूर्ण यह है कि जिस स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचना की गयी वही अनुतोष न्यायालय द्वारा अंगीकरण के स्तर पर प्रदत्त किया गया, इस कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आदेश दिनांकित 23.02.2026 पारित किया गया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से याचित अनुतोष भिन्न–2 है, जो विधिनुसार पर्याप्त न्यायशुल्क प्रदत्त न करने के कारण भी विधिनुसार प्रदत्त योग्य नही है। आदेश 43 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदेश दिनांकित 23.02.2026 को रिकॉल

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.07.20 16:28:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किये जाने का कोई प्राविधान नही हैं, प्रार्थना पत्र किस विधि के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, भी प्रार्थना पत्र में अंकित नही है। प्रस्तुत अपील में महत्वपूर्ण विधि बिन्दु निहित है, जिसका विनिश्चय अपीलीय न्यायालय को करना हैं, अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध ढंग से पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन व परिशीलन ना कर अपने आप में निहित क्षेत्राधिकार का दुरूप्रयोग कर पारित किया गया। यदि विपक्षी आदेश दिनांकित 10.03.2026 से व्यथित हैं, तो ऐसी दशा में उपरोक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है, न्यायालय द्वारा उक्त आदेश सम्यक विधिक दृष्टि से अपने क्षेत्राधिकार का सदप्रयोग कर पारित किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने का कोई औचित्य नही है। विपक्षी उक्त आदेश के अपास्त होने के उपरांत अवर न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश की आढ़ में निश्चित रूप से विवादित सम्पत्ति पर कब्जा व निर्माण करेगें, इसी र्दुभावना व दुराशय से विपक्षी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र विपक्षी द्वारा महज अपील में अनावश्यक विलम्ब कारित करने व जबावदेह/अपीलान्ट्स को तंग व परेशान करने के उददेश्य से र्दुभावना व दुराशय से प्रस्तुत किया गया है। वर्णित तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थना पत्र उपरोक्त विधिनुसार पोषणीय ना होने के कारण हर सूरत निरस्त होने योग्य है।

उभयपक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्क व अपील में लिये गये आधारों के अनुक्रम में तथा प्रार्थना पत्र 12सी2 व आपत्ति 13सी2 में किये गये कथनों के अनुक्रम में वादपत्र के सत्यापित प्रति एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2026 का अवलोकन किया।

विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.02.2026 में स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि *''वादी द्वारा प्रस्तुत वाद गाटा संख्या 393 में स्थित सम्पत्ति आबादी जिसे नक्शा वादपत्र में अक्षर ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है, स्थित मौजा पिपैहरा, परगना मारहरा, तहसील व जिला एटा पर स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। वादी की ओर से उक्त सम्पत्ति पर स्वंय के स्वामित्व के सम्बन्ध मे प्रपत्र सं०–12सी1 पत्रावली पर दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उक्त सम्पत्ति का मालिकाना हक राजपाल सिंह के नाम दर्ज है। अतः उपरोक्त से प्रथमदृष्टया बादी का वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक व काबिज होना परिलक्षित होता है।''*

विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किये जाते समय कुछ शर्तें भी आरोपित की गयी हैं, जिसका भी अवलोकन किया जाना आवश्यक है :–

''1. वादी, प्रतिवादीगण के हाजिर होने के पश्चात वाद के गुण–दोष पर सुने जाने के समय कोई भी अनावश्यक स्थगन नहीं देगा। यह आदेश केवल पक्षकारों के मध्य लागू होगा।

2. यदि वादी अनावश्यक स्थगन प्रस्तुत करता है और प्रार्थना पत्र 6सी2 के सुनाये जाने पर विलम्ब कारित करता है, तो उक्त आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

3. यदि वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई भ्रामक/मिथ्या तथ्य प्रस्तुत किया गया है अथवा किसी तात्विक विशिष्ट तथ्यों को छिपाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी का आचरण ईमानदारी व सद्भावना का नहीं है तो न्यायालय द्वारा उक्त आदेश अविलम्ब अपास्त कर दिया जायेगा।

4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/सरकारी सम्पत्ति, वास्तविक स्वामी, बेहतर हक रखने वाले व्यक्तियों तथा सदभावी क्रेता/सहखातेदार पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।''

उल्लेखनीय है कि वर्तमान आदेश दिनांकित 23.02.2026 पारित किये जाने के उपरान्त वर्तमान प्रकरण दीवानी अपील दिनांक 09.03.2026 को प्रस्तुत की गयी तथा सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि प्रार्थना पत्र 6सी2 पर अपीलार्थी की ओर से अभी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है और वास्तविक रूप में प्रार्थना पत्र 6सी2 पर अन्तिम रूप से गुण दोष के आधार पर निस्तारण होना अभी शेष है।

ऐसी स्थिति में उभयपक्ष के अधिकारों व हितों कों सुरक्षित रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2026 इस स्तर तक संशोधित किये जाने योग्य है कि उभयपक्षकार प्रार्थना पत्र 6सी2 के गुण दोष के आधार पर अन्तिम निस्तारण तक मौके पर विवादित सम्पत्ति गाटा संख्या 393 स्थित मौजा पिपैहरा परगना के सम्बन्ध में स्थास्थिति बनाये रखेंगें। उक्त के अनुक्रम में वर्तमान प्रकरण प्रकीर्ण दीवानी अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा आदेश दिनांक 23.2.2026 उपरोक्तानुसार संशोधित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकीर्ण दीवानी अपील संख्या 16/2026 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आपत्ति तदानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश दिनांक 23.2.2026 उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है।

उभयपक्षकार प्रार्थना पत्र 6सी2 के गुण दोष के आधार पर अन्तिम निस्तारण तक मौके पर विवादित सम्पत्ति गाटा संख्या 393 स्थित मौजा पिपैहरा परगना के सम्बन्ध में स्थास्थिति बनाये रखेंगें।

उभयपक्षकार दिनांक 08.08.2026 को विचारण के समक्ष उपस्थित हों।

(राकेश धर दुबे)

जनपद न्यायाधीश, एटा